

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
जल शुल्क के चालान फार्म
(चार कापी में भरा जाना चाहिए)

1. योजना का नाम/सैक्टर
2. सैक्टर ब्लॉक प्लॉट/प्लॉट नं०
3. आवंटन संख्या प्लॉट क्षेत्रफल
4. आवंटनी का नाम
5. मीटर के अनुसार रीडिंग
पूर्व में की गई रीडिंग दिनांक
- वर्तमान में की गई रीडिंग दिनांक
- रीडिंग के अनुसार देय राशि

क्र. सं.	क्षेत्र/प्लॉट वर्ग मी०	न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह रू०	रीडिंग दर रू० 09.00 रू० प्रति किलोलीटर आवासीय क्षेत्र के लिये अन्य क्षेत्र के लिये रू० 11.00 प्रति किलोलीटर	रीडिंग के अनुसार शुल्क की गणना	भुगतान की जाने वाली राशि (कोलम 3 एवं 5 में जो भी अधिक हो)
1	2	3	4	5	6
1.	60 वर्ग मी. तक	66.00			
2.	61 वर्ग मी. से 120 वर्ग मी.	110.00			
3.	121 वर्ग मी. से 200 वर्ग मी.	198.00			
4.	201 वर्ग मी. से 350 वर्ग मी.	330.00			
5.	351 वर्ग मी. से 500 वर्ग मी.	440.00			
6.	501 वर्ग मी. से 1000 वर्ग मी.	660.00			
7.	1000 वर्ग मी. से अधिक	रू० 11.00 प्रति किलोलीटर			

6. देय धनराशि

क्रमांक संख्या	दिनांक	माह	वर्ष	धनराशि

7. जमाकर्ता द्वारा भरा जायेगा Rs.	Lac	Thousand	Hundred	Unit
	3	4	5	6

बैंक ड्राफ्ट नं० दिनांक रू० देय बैंक

शाखा संलग्न है।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर
(फोन.....)

8. CASH DETAILS

Rs. 1000 x	=	
Rs. 500 x	=	
Rs. 100 x	=	
Rs. 50 x	=	
Rs. 20 x	=	
Rs. 10 x	=	
Rs. 5 x	=	
Rs. 2 x	=	
Rs. 1 x	=	

9. TO BE FILLED IN BY THE RECEIVING AUTHORITY / BANK

Received Rs. in CASH / BANK DRAFT as stated above at risk cost and responsibility of depositor. In case where the cancellation proceedings have been undertaken, the deposit of above amount will not entitle the depositor to claim any benefit on amount of the above deposit made. The right of GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY is reserved to initiate further action as is admissible under the rule and regulations. Any unauthorised payment remitted are liable to be forfeited by the Greater Noida Industrial Development Authority.

Above deposit credited in Greater Noida A/C No. 489995464 On dated

Signature of Receiving Authority

❖ इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

1. सामान्य शर्तें

- वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह अर्थात् 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक वार्षिक जल मूल्य जमा कराये जाने पर 5% की छूट देय होगी।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल मूल्य जमा न कराये जाने पर 31 मार्च के बाद देय राशि पर 12% वार्षिक व्याज की दर जो छमाही चक्रवृद्धि होगी देय होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/प-आर्डर, ग्रैंटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम आहरित हानक चाहिए तथा ग्रैंटर नोएडा/नोएडा/दिल्ली पर देय होना चाहिए।

भवदीय

(आरओ के देव)

महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महादय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महादय को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (वाई.वाई.) महादय को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना)।
5. उप महाप्रबन्धक (परियोजना/सम्पत्ति/उद्योग)।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विस/परियोजना/उद्योग/सम्पत्ति/नियोजन/सिस्टम)।
7. शाखा प्रबन्धक (कनरा बैंक/कारपोरेशन बैंक/इण्डियन बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जल शुल्क जमा करने के चलान में अंकित कराने का कष्ट करें।


1/4/14
महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस)